

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

आ0प्रक0क0-127 / 2011
संस्थित दिनांक 31.08.2010

भगताराम उम्र-47 साल, पिता श्री तोरन यादव, जाति अहीर,
निवासी लोरमी चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा तहसील बैहर
जिला बालाघाट।

.....परिवादी।

// / विरुद्ध // /

1. गुहरीसिंह उम्र-50 साल पिता हीरासिंह जाति गोंड,
 2. झम्मीबाई उम्र-46 साल जाति गुहरी जाति गोंड, (उन्मोचित)
 3. रेवतीबाई उम्र-26 साल पति मंगलसिंह जाति गोंड, (उन्मोचित)
- सभी निवासी लोरमी थाना बिरसा तहसील बैहर
जिला बालाघाट।

.....अभियुक्त।

—:: निर्णय ::—

—:: दिनांक-09.06.2017 को घोषित ::—

- 1— अभियुक्त गुहरीसिंह पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-447, 506 (भाग-I) का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-28.08.2010 को समय 8:30 बजे सुबह ग्राम लोरमी में फरियादी/अभियोगी भगताराम की संपत्ति उसके खेत में फरियादी को क्षुब्ध एवं अभिन्नस्त करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित कर फरियादी/अभियोगी भगताराम को संत्रास कारित करने के आशय से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नस्त कारित किया।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोगी एवं अभियुक्तगण साकिन लोरमी तहसील बैहर जिला बालाघाट के मूल निवासी हैं तथा कास्तकारी का कार्य करते हैं। अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी के साथ कारित घटना का घटनास्थल लोरमी है, जो पुलिस थाना बिरसा में आती है। घटना दिनांक 28.08.2010 को सुबह 8:30 बजे अभियोगी अपने भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 6/2 रकबा 2.00 एकड़ मौजा लोरमी प.ह.नं.37 में स्थित भूमि पर नांगर से जुताई कर रहा था, तभी अभियुक्तगण एक राय होकर अभियोगी को मारदचोद, बहनचोद की अश्लील गालियां देते हुये अनाधिकृत रूप से अभियोगी की उपरोक्त भूमि पर प्रवेश कर अभियोगी के नांगर से बैल को छोड़ दिये थे तथा अभियोगी को यह धमकी देने लग थे कि यदि वह अब आज के बाद

इस भूमि पर नांगर चलाया तो उसे एवं उसके परिवार को कुल्हाड़ी से काटकर जान से खत्म कर देंगे तथा यदि जान से खत्म नहीं कर पाये तो अभियोगी एवं उसके परिवार को हरिजन आदिवासी एक्ट में फंसाकर जेल में सड़ा डालेंगे और अभियोगी की भूमि पर कब्जा कर लेंगे और देखते हैं अभियोगी इस भूमि पर कैसे नांगर चलाता है। अभियुक्तगण द्वारा दी गई धमकी से अभियोगी भयभीत हो गया था। उसका बाहर आना-जाना बंद हो गया था। अभियुक्तगण द्वारा दी गई धमकी से अभियोगी के जान को खतरा उत्पन्न हो गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट अभियोगी द्वारा पुलिस चौकी सालेटेकरी में दिनांक 28.08.2010 को दर्ज कराई थी, किन्तु पुलिस चौकी सालेटेकरी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी। इस कारण अभियोगी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। परिवादी की साक्ष्य एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों से न्यायालय ने अभियुक्त गुहरीसिंह के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-447, 506 भाग 1 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था।

3— अभियुक्त गुहरीसिंह को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 01 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था। अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4— प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त गुहरीसिंह ने घटना दिनांक-28.08.2010 को समय 8:30 बजे सुबह ग्राम लोरमी में फरियादी/अभियोगी भगताराम की संपत्ति उसके खेत में फरियादी को क्षुब्ध एवं अभित्रस्त करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित कर फरियादी/अभियोगी भगताराम को संत्रास कारित करने के आशय से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?

—: विवेचना एवं निष्कर्ष :-

5— परिवादी भगताराम ने प्रकरण में अपराध विवरण बनने के बाद कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस कारण परिवादी की साक्ष्य के आभाव में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण की घटना प्रमाणित नहीं मानी जाती है। अतः अभियुक्त गुहरीसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-447, 506 (भाग-1) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

6— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

7— प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर जिला-बालाघाट